

बिना किसी आधार के वाद भूमि का भौतिक सत्यापन करवाने का अधिकारी नहीं है।

प्राथी /वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में दस्तावेजी /मौखित साक्ष्य के आधार पर साबित करने के लिये स्वतन्त्र है न्यायालय द्वारा भौतिक सत्यापन करवाया जाना न्यायोचित नहीं है /प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है।

अतः प्राथी /वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है की पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 02.012. 2025 को पेश हो ।

Zahul.

21/25

~~व्युत्पाय फरिक्तेन उपस्थित बहस हेतु समय
यात्रा पत्रावली वास्ते बहस दिनांक
पुनश्चाय अमान् विना व्युत्पाय हेतु
समय स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश
पत्रावली दिनांक ११/१६ वा पेश हो~~

9/26

पत्रावली पेश हुई श्रीमान्जी पी.ओ. साहब...
अन्य कार्य में व्यक्त

Zahul.

2/26

पत्रावली दि० २५/२६ को पेश हो

~~व्युत्पाय फरिक्तेन उपस्थित अमान् विना
कम्पेक्ट मल्लेय हेतु मालगद स मागदिशसि
प्रात नही पत्रावली दिनांक १५/२६ को
पेश हो~~

Zahul.

12/26

पत्रावली पेश हुई श्रीमान्जी पी.ओ. साहब...
अन्य कार्य में व्यक्त

पत्रावली दि० २५/३/२६ को पेश हो

5/26

~~व्युत्पाय फरिक्तेन उपस्थित अमान् विना
कम्पेक्ट मल्लेय स मागदिशसि प्रात नही
पत्रावली दिनांक २५/३/२६ वा पेश हो~~

24/26

व्युत्पाय फरिक्तेन उपस्थित पूर्व आदेशानुसार
हेतु दिनांक ०५/५/२६ को पेश हो

Zahul.

सागदिशसि

8/26

व्युत्पाय फरिक्तेन उपस्थित पूर्व आदेशानुसार
हेतु दिनांक ०५/५/२६ को पेश हो

Zahul.

सागदिशसि

30/26

~~पत्रावली पेश हुई वकीलवादी सायल
उपस्थित नही पुन वकील सायल सायल
उपस्थित नही वा वा र वा र सायल सायल
किन्तु सायल या सायल स वा र वा र सायल
वकील सायल वा वा र वा र पत्रावली पेश
अदम सायल में खारिज किया जाता है
पत्रावली वास्ते बहस हेतु~~

Zahul.